संख्या-294/2025/273के-2/22-3-2024-17(529)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 17 जुलाई, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सलाउद्दीन पुत्र कल्लू, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-28846/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-17.09.2024) दिनांक-23.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सलाउद्दीन पुत्र कल्लू, ग्राम-झलरा, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 23.12.2009 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी गुलशन के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिसके उपरान्त अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-587/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, बिजनौर के आदेश दिनांक 23.04.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29.07.2015 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा। दिनांक-29-08-2024 तक बन्दी की आयु 35 वर्ष 09 माह है। जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.07.2024 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाग यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या दी गयी है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है तथा पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज में भय व आतंक पैदा करने वाला कृत्य होने, अपराध की पुनरावृत्ति करने की भी पूर्ण सम्भावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने दिनांक 23.12.2009 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी गुलशन के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बन्दी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सलाउद्दीन पुत्र कल्लू को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सलाउद्दीन (बन्दी संख्या-48756) पुत्र कल्लू, निवासी- जनपद-बिजनौर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-294/2025/273के-2(1)/22-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-294/2025/273के-2/22-3-2024-17(529)/2024

दिनांक 17 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सलाउद्दीन पुत्र कल्लू, ग्राम-झलरा, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 23.12.2009 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी गुलशन के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिसके उपरान्त अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-587/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, बिजनौर के आदेश दिनांक 23.04.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29.07.2015 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा। दिनांक-29-08-2024 तक बन्दी की आयु 35 वर्ष 09 माह है। जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.07.2024 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाग यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या दी गयी है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है तथा पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज में भय व आतंक पैदा करने वाला कृत्य होने, अपराध की पुनरावृत्ति करने की भी पूर्ण सम्भावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने दिनांक 23.12.2009 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी गुलशन के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बन्दी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सलाउद्दीन पुत्र कल्लू को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in